न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चाहौन, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 18/2016

अपीलान्ट

1. पदमाराम पुत्र देवाजी जाति सिरवी निवासी तरूंगी तहसील पिण्डवाडा
2. लटुआराम पुत्र देवाजी जाति सिरवी निवासी तरूंगी तहसील पिण्डवाडा

बनाम

रेस्पोडेन्ट :–

1. सोहनसिंह पुत्र रामाजी जाति राजपूत निवासी उतरज तहसील आबुरोड हाल फुलाबाई खेडा, तहसील पिण्डवाडा
2. बाबूसिंह पुत्र रामाजी जाति राजपूत निवासी उतरज तहसील आबुरोड हाल फुलाबाई खेडा, तहसील पिण्डवाडा
3. नरपतसिंह पुत्र रामाजी जाति राजपूत निवासी उतरज तहसील आबुरोड हाल फुलाबाई खेडा, तहसील पिण्डवाडा
4. कोकूबाई बेवा रामाजी जाति राजपूत निवासी उतरज तहसील आबुरोड हाल फुलाबाई खेडा, तहसील पिण्डवाडा
5. गीताबाई पुत्री रामाजी जाति राजपूत निवासी उतरज तहसील आबुरोड हाल फुलाबाई खेडा, तहसील पिण्डवाडा
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिण्डवाडा

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
अपीलाण्ट एवं उनके अभिभाषक अनुपस्थित
श्री विक्रमसिंह, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

–: निर्णय :–

दिनांकः– 18.12.17

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रकरण संख्या 83/2013 में सहायक कलक्टर पिण्डवाडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.07.2016 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। नियत तारीख पेशी पर अपीलाण्ट एवं उनके द्वारा नियुक्त अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नही हुए। लिहाजा अपीलाण्ट के विरूद्ध इस प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय किया जाता है। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपील बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 क के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि मौजा फुलाबाई खेडा पटवार हल्का काछोली तहसील पिण्डवाडा के खसरा नम्बर 198, 199, 200 कुल रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा में 20 फीट चौडा मार्ग प्रदान कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया अपनाते हुए आदेश दिनांक 25.04.2014 के जरिये रास्ता प्रदान कराने का आदेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पारित किया। उक्त आदेश के विरूद्ध इसी न्यायालय में अपीलाण्ट द्वारा अपील प्रस्तुत की गई, जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 09.12.2015 को अपील स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.04.2015 को अपास्त करते हुए दोनो पक्षों को सुनकर तथा सभी बिन्दुओं पर पूर्ण विवेचन सहित अपना विधि सम्मत आदेश पारित करने के निर्देशों के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः सुनवाई करते हुए दिनांक 15.07.2016 को प्रकरण में निर्णय पारित किया तथा रेस्पोडेन्ट को रास्ता प्रदान कराने का आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पूर्णतः विधिवत प्रक्रया अपनाते हुए एवं पक्षकारान को साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नही है। अपीलाण्ट ने न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत कर स्थगन आदेश पारित करवाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तहसीलदार की रिपोर्ट एवं मौका जांच आदि को दृष्टिगत रखते हुए रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता को देखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नही है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावे।

बहस पर मनन किया गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि ग्राम फुलाबाई खेडा तहसील पिण्डवाडा के खसरा नम्बर 201, 202 रकबा 14 बीघा 11 बिस्वा में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 199, 200 की भूमि में से 20 फुट चौडा रास्ता प्रदान कराने का अनुतोष चाहा। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण/अपीलाण्ट को जरिये नोटिस तलब किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट/अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहने के कारण दिनांक 06.02.2014 को न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट/अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए तहसीलदार पिण्डवाडा से मौका रिपोर्ट तलब करने के आदेश दिये। इसकी पालना में तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा दिनांक 07.04.2014 को अपनी रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की, जिसमें जाहिर किया कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है तथा यह जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिये नही है एवं रास्ते का वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध हुआ है। इस अनुसार खसरा नम्बर 199 में प्रस्तावित 0.09 बीघा भूमि रास्ते हेतु प्रदान कराने को उचित बताया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 25.04.2014 को खसरा नम्बर 199 में से 09 बिस्वा भूमि रास्ते हेतु प्रदान किए जाने की अनुमति प्रदान करते हुए राशि 55905/– रूपये राजकोष में जमा करवाने पर उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित किये। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने इस न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसमें दिनांक 09.12.2015 को अपील स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.04.2015 को अपास्त करते हुए दोनो पक्षों को सुनकर तथा सभी बिन्दुओं पर पूर्ण विवेचन सहित अपना विधि सम्मत आदेश पारित करने के निर्देशों के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित किया। इस आदेश की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17.06.2016 को दोनो पक्षों को जरिये नोटिस तलब करने के आदेश पारित किये। इसके पश्चात विधिवत प्रक्रियानुसार कार्यवाही करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15.07.2016 को आदेश पारित करते हुए खसरा नम्बर खसरा नम्बर 199 में से 09 बिस्वा भूमि रास्ते हेतु प्रदान किए जाने की अनुमति प्रदान करते हुए राशि 55905/– रूपये राजकोष में जमा करवाने पर उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित किये। सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 'क' में यह स्पष्ट प्रावधान है कि " (1) यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिये नही है और (2)अन्य खातेदार की जोत में से होकर विशिष्ठ रूप से नये मार्ग के मामले में,

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है।" प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि में आवागमन का वैकल्पिक मार्ग का अभाव तथा मार्ग की आत्यांतिक आवश्यकता सिद्ध हुई है, जिसके कारण प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट को रास्ता प्रदान किया जाना कानूनन आवश्यक मानते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नही पाई जाती है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा प्रकरण संख्या 83/2013 सोहनसिंह बनाम पदमा में सहायक कलक्टर पिण्डवाडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.07.2016 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.12.17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली